रजिस्ट्रीसं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102020-222654
CG-DL-E-22102020-222654

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड3—उप-खण्ड(ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकारसेप्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3322] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2020/ आश्विन 30, 1942
No. 3322] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2020/ASVINA 30, 1942

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2020

का.आ.3749(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप–धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii), तारीख 14 जनवरी 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 201(अ) तारीख 10 जनवरी, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, बिहार राज्य के रोहतास जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, रख–रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सारांश उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप–धारा (4) के अधीन दैनिक समाचारपत्रों अर्थात् दैनिक जागरण में तारीख 25 जनवरी, 2020 और हिन्दुस्तान में तारीख 25 जनवरी, 2020 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया और अनुज्ञात किया गया तथा तद्नुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (1) के अनुसरण, में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम 1989 की धारा 20ङ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अनन्य रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए रोहतास जिले के भीतर संरचना सहित या उसके रहित आने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र0 सं0	अंचल का नाम	ग्राम का नाम	थाना नं0	प्लाट सं0	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हे0 में)	भू–स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	सासाराम	घनपुरवा	137	284	निजी	आवासिक	0.0066	शिवपूजन सिंह, रामपूजन सिंह, रामायण सिंह पुत्र स्व0 रामचन्द्र महतो, बिरेन्द्र कुमार सिंह, महेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 शिवरतन सिंह।
2.	सासाराम	घनपुरवा	137	281	सरकारी	कृषि	0.0436	अनावाद सर्व साधारण।

[फा. सं. 2020/एलएमएल–II/12/2/ईसी/2071]

ए.के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAY

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2020

S.O. 3749(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 201(E), dated the 10th January, 2020, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th January, 2020 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Rohtas in the State of Bihar;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Dainik Jagran, dated the 25th January, 2020 and Hindustan, dated the 25th January, 2020 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same has been considered and allowed by the competent authority and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Rohtas in the State of Bihar.

Sl No.	Name of Circle	Name of Village	Thana No.	Plot No.	Type of Land	Nature of Land	Area in Hactare	Name of Land Owner/ Interested Person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sasaram	Dhanpurwa	137	284	Private	Residential	0.0066	Shivpoojan Singh, Rampoojan Singh, Ramayan Singh S/o Late Ramchandra Mahto, Birendra Kumar Singh, Mahendra Kumar singh S/o Late Shiv Ratan Singh.
2.	Sasaram	Dhanpurwa	137	281	Government	Agricultural	0.0436	Anawad Sarv Sadharan.

[F.No. 2020/LML-II/12/2/EC/2071]

A.K. SINHA, Executive Director (Land & Amenities)

Uploaded by Dte.of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.10.22 21:55:48 +05'30'